



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29605

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3811/2026

श्रीमती फुलवासी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 13 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता: दीपक सिंह राठौर, दिव्यांशु पाठक

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ को वाद संख्या 773/2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D2023155100000773) (पलटू एवं अन्य बनाम ग्राम पंचायत) को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश देने हेतु है।
4. मामला अवर न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, परंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ, उपर्युक्त वाद/वाद को कानून के अनुसार सख्ती से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर तय करें, लेकिन बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर अधिनिर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

सकलन।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"